

नगरीय विकास कर आवश्यक सूचना ।

नगरीय विकास कर में सरकार द्वारा दी जा रही छूट का लाभ उठावे दिनांक:—30/09/2017 तक यदि आप अपना नगरीय विकास कर एक मुश्त जमा करवाते है तो ब्याज/शास्ति/पैनल्टी शत प्रतिशत माफ है और चालू वित्तीय वर्ष पर 5% की अतिरिक्त छूट है यदि भू-स्वामी महिला है तो उसे 10% अतिरिक्त छूट है । नगर निगम द्वारा सभी की नगरीय विकास कर सूचना/बिल डाक द्वारा भिजवाये गये है यदि किसी को अपना सूचना/बिल प्राप्त नहीं हुआ हो तो वो अपना सूचना/बिल नगर निगम मुख्यालय रूम नं. 11 से प्राप्त कर सकते है ।